...university.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Allahabad State University, Allahabad

सदर्भ संख्या– इ0रा0वि0वि0/सम्बद्धता/670/2017 दिनांक– 28.12.2017 कुलसचिव इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यां 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद से अनुमति से **नारायण उच्च शिक्षा संस्थान** (लॉ **कालेज), झलवा, इलाहाबाद,** उ0प्र0 को **स्नातक स्तर** पर **विधि संकाय** के अन्तर्गत **एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त **सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1. प्रश्नगत सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त की जाती है, जिसमें प्रक्रियागत विलम्ब होता है। अतः बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति/छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु आगामी पॉच वर्षो की गणना की जायेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी मे इंगित समस्त कमियॉं (यथा याचित पाठ्यक्रमों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन नही हैं, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/मूल नजरी नक्शा संलग्न नही हैं) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षो में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का** विवरण **विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के** द्वारा ही **परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
8. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16 (20)/2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

ह0
(कुलसचिव)

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सं0: इ0रा0वि0वि0/सम्बद्धता/445/2018 दिनांक: 06/09/2018

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, नारायण उच्च शिक्षा संस्थान (लॉ कालेज), झलवा, इलाहाबाद, को निर्गत उपर्युक्त सम्बद्धता आदेश दिनांक– 28.12.2015 में उल्लिखित तथ्यों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत, बार काउसिंल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्रांक BCI: D: 2045/2018 (LE/Std. 23/24.7.2018) Dated 29.8.2018 एवं माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय को एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 120 सीटों (60 छात्रो के दो सेक्शन) पर कक्षा संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। महाविद्यालय वेबसाइट, ई–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष नं0 आदि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. निजी सचिव कुलपति को, कुलपति जी को सूचनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

प्राचार्य/प्राचार्या
नारायण उच्च शिक्षा संस्थान
लॉ कालेज
झलवा, इलाहाबाद

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव

...university.org
E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Allahabad State University, Allahabad

...सख्या:– सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1396 / 2015 दिनांक– 28.12.2015 कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद से अनुमति से **नारायण उच्च शिक्षा संस्थान (लॉ कालेज), झलवा, इलाहाबाद, उ0प्र0** को **स्नातक स्तर** पर **विधि संकाय** के अन्तर्गत **एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त **सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1. प्रश्नगत सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त की जाती है, जिसमें प्रक्रियागत विलम्ब होता है। अतः बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति / छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु आगामी तीन वर्षों की गणना की जायेगी।
2. संस्था / महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों (यथा याचित पाठ्यक्रमों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन नहीं हैं, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित / मूल नजरी नक्शा संलग्न नही हैं) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
8. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16 (20) / 2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
11. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

ह0
(कुलसचिव)

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांकः 06 / 09 / 2018

सं0: इ0रा0वि0वि0 / सम्बद्धता / 146 / 2018

1. प्रबन्धक / प्राचार्य, नारायण उच्च शिक्षा संस्थान (लॉ कालेज), झलवा, इलाहाबाद, को निर्गत उपर्युक्त सम्बद्धता आदेश दिनांक– 28.12.2015 में उल्लिखित तथ्यों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्रांक BCI: D: 2045/2018 (LE/Std. 23/24.7.2018) Dated 29.8.2018 एवं माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय को एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 240 सीटां (60 छात्रों के चार सेक्शन) पर कक्षा संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। महाविद्यालय वेबसाइट, ई–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष नं0 आदि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. निजी सचिव कुलपति को, कुलपति जी को सूचनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

प्राचार्य / प्राचार्या
नारायण उच्च शिक्षा संस्थान
लॉ कालेज
झलवा, इलाहाबाद

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव

पताः सी0पी0आई0 परिसर, महात्मा गाँधी रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उ0प्र0), फोनः 0532–2256207
Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Allahabad (U.P.) Ph. 0532-2256207